International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979, Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 4; April 2017; Page No. 313-315

वैश्विक जल संकट एवं पीने के सुरक्षित पानी का अधिकार

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह

विधि विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

विश्व के सम्पूर्ण जल संसाधन में से मात्र 0.008 प्रतिशत ही मनुष्य के लिए उपयोगी है, इसमें से भी 30 प्रतिशत पानी प्रदूषित हो चुका है। वर्ष 2025 तक दुनिया की 35 प्रतिशत जनसंख्या जो 52 देशों में रह रही है पानी की कमी महसूस करेगी और इससे विकास भी प्रभावित होगा। आने वाले समय में जल संकट इतना विकराल रूप धारण कर सकता है कि इससे युद्व व विनाश जन्म ले सकता है। भारत में भी सुरक्षित पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है इसी कारण इसे कमोडिटी (वस्तु) के रूप में देखा जाने लगा है और पीने पानी का बाजार बढ़ता जा रहा है। जिस पर लगाम की आवश्यकता है, क्योंकि मानव हेतु जल एक आधारभूत आवश्यकता है और उसको प्राप्त करना उसका मूलभूत अधिकार है क्योंकि यह जीवन के अधिकार से सीधे जुड़ा है। इसीलिए यह राज्य का जिम्मेदारी है कि मानक के अनुसार 5 गैलन साफ और सुरक्षित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए तथा गरीबों को यह निःशुल्क प्राप्त होनी चाहिए।

मूल शब्दः जल संसाधन, उच्चतम न्यायालय, पानी का अधिकार।

1. प्रस्तावना

मानव ही नही अपितु प्रत्येक जीव–जन्तु व वनस्पति के जीवन की अनिवार्य शर्त पानी है। मानवीय सभ्यता व संस्कृति का विकास भी जीवनदायिनी नदियों के तट पर हुआ है। सम्पूर्ण जीव जगत के लिए प्राण वायु आक्सीजन के बाद जल ही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ''जल ही जीवन है''। अनादिकाल से मानव जल का उपयोग कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, क्योकि जल चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से चलती है। पृथ्वी पर मानव की विकास की जो अंधाधुध प्रक्रिया चल रही है उसमें यह संकट दबे पाँव कब आया, उसे नहीं मालूम। हाँ इतना अवश्य है कि आने वाले समय में जल संकट इतना विकराल रूप धारण कर सकता है कि इससे युद्ध एवं विनाश भी जन्म ले सकता है।

पृथ्वी के 70 प्रतिशत भाग पर जल है, तथापि उसमें से 67 प्रतिशत सागरों में खारे जल के रूप में भरा है। विश्व में उपलब्ध सम्पूर्ण जल में से 2.5 प्रतिशत से भी कम मीठा पानी के रूप में है और उसमें से भी दो तिहाई से अधिक भाग हिमखण्डों में जमी हालत में है।1 शेष बचा हुआ मीठा पानी लगातार चलने वाले जल चक्र का नियमित हिस्सा है। दो तिहाई पानी भाप बनकर उड़ जाने के कारण उपयोग में नहीं आता उसके बाद मीठे पानी का जो 20 प्रतिशत भाग शेष बचता है, वह हमारी पकड़ में नहीं आता है। बचे हुए 80 प्रतिशत मीठे पानी का तीन चौथाई भाग बाढ़ के पानी के रूप में बह जाता है जिससे उपयोग में नहीं आता है। इस प्रकार कुल मिलाकर विश्व के सम्पूर्ण जल संसाधन में से मात्र 0.008 प्रतिशत ही मनुष्य के लिए उपयोग की स्थिति में है। इसमें से भी 30 प्रतिशत पानी जो नदियों, झीलों और भूजल आदि के रूप में है प्रदूषण के कारण विषाक्त हो चुका है[2]।

दुनिया भर के देशो में भूजल का गिरता स्तर चिन्ता का वि'ाय बना हुआ है। वहीं हम मानक से तीन गुना ज्यादा पानी रोज बर्बाद कर रहें हैं। यदि पानी के दोहन का यही हाल रहा तो अगले दस सालों में हमें 200-300 फुट से भी ज्यादा गहराई में पानी खोजना पड़ेगा। गर्मी के मौसम में शहर के कई मोहल्लों में भूमि धसने की घटनाएं सुनाई दे जाती है। इसका कारण शहर के विभिन्न स्थानों में भूमिगत जल में आई गिरावट है। भारतीय भूसर्वेक्षण के जिन अनुसार स्थानों में भूमिगत जल स्रोत में कमी आई उन स्थानों में जमीन धसने की धटनाएं अधिक हुई है। इन स्थानों में जमीन खोखली होने लगती है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है इसका परिणाम गम्भीर भी हो सकता है।

2. जल संकट की भयावहता

पूरे विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और यह आशा की जाती है कि वर्ष 2025 में 8.5 बिल्यिन लोग इस धरती पर होगे। इस धरती पर मीठा जल निर्वाहनीय (Sustainable) आधार पर केवल 4.5 से 9 बिल्यिन लोगों के लिए ही उपलब्ध है।3 अतः हम यह कह सकते है कि वर्तमान शताब्दी में ही मीठे जल की आवश्यकता तेजी से बढ़ती चली जायेगी और जिसकी पूर्ति संभव ही नही है। पूरे विश्व में शहरीकरण की रफ्तार तेज है, शहरो के संसाधन छोटे पड़ने लगे है, शहरो के किनारे की नदियाँ खुले सीवर के रूप में तब्दील होती जा रही है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट 1995 में ही स्माईल सराजिलडीन4 ने कहा था कि नई शताब्दी में लड़ाईयां पानी के लिए होगी। पानी की मात्रा निश्चित है किन्तु जनसंख्या वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति हेतु उपलब्ध पानी की मात्रा घट जाती है। वर्ष 2025 तक दुनिया की 35 प्रतिशत जनसंख्या 52 देशों में रह रही है। पानी की कमी महसूस करेगी। 21 वी सदी में मानव विकास को सबसे बड़ा खतरा जल संकट से है। जल संकट से राष्ट्रों का विकास प्रभावित प्रारम्भ हो चुका है।

घरेलू प्रयोग के अतिरिक्त भी जल के लिए दुनिया भर में मारा–मारी बढ़ रही है। जिसके लक्षण जल आधारित परस्थितकी तंत्र के नष्ट होने, नदियों में पानी का प्रवाह कम होने तथा भूजल का स्तर कम होने से स्पष्ट तौर पर परिलक्षित हो रहा है। वर्तमान में एक अरब से ज्यादा लोग साफ पानी से वंचित है। प्रत्येक वर्ष 1. 8 मिलियन बच्चों की मौत डायरिया से होती है जो दूषित जल तथा खराब सफाई व्यवस्था (2.6 अरब लोगों को पर्याप्त सफाई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।) का परिणाम है। यह बच्चों की मौत का दूसरा बड़ा कारण है।

मानव विकास रिपोर्ट[5] 2006 जो जल संकट पर विस्तृत निगाह डालती है का मानना है कि मानव हेतु जल आधारभूत आवश्यकता है और यह मूलभूत मानवाधिकार है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति को

प्रतिदिन न्यूनतम 5 गैलन साफ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिए तथा गरोबों को निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए। 5 गैलन साफ पानी सुनिश्चित करने हेतु ''एक वैश्यिक कार्यवाही योजना (GAP) के निर्माण पर वर्ष 2006 में ही जोर दिया गया था और प्रत्येक सरकारों से कहा गया कि वे कम से कम ''सकल घरेलू उत्पाद'' (GDP) का 1 प्रतिशत खर्च करेगे।

वर्ष 2000 में ''संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल[6] (MDG) 2000 यू0एन0 जनरल ऐसेम्बली के प्रस्ताव सम्पूर्ण विश्व हेतु जारी किया गया। जिसका मुख्य एजेण्डा वर्ष 2015 तक सम्पूर्ण विश्व गरीबी उन्मूलन तथा साफ पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। इस दिशा में दुनिया स्तर पर कार्य किया भी जा रहा है परन्तु इस दिशा में काफी प्रयास के भी बाद विकासशील और अल्पविकसित देशों में इस चुनौती को पूरा नहीं कर सके है। भारत जैसे देश में सरकारी ऑकडो में गरीबी का प्रतिशत तो घटा है परन्तु विगत 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि की रफतार के कारण गरीबों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है।

भारत में पानी की पूजनीय महत्ता है हिन्दू अध्यात्मावलंबी एक लोटा जल से अपने ईष्ट को अर्ध्य देने के अतिरिक्त पवित्र नदियों में अवगाहन कर पुण्य की भावना से ओत–प्रोत होते रहे है परन्तु वैश्यिक जल संकट की प्राकृतिक (व कुछ मायनों मे मानवजनित भी) विपदा भारत में भी खतनाक सूरत अख्तियार करने लगी है। राज्यों के बीच जल विवाद तथा राज्यों के भीतर पानी को लकर हिंसक संघर्ष जल संकट की भयावह होती तस्वीर की कुछ बानगी मात्र है।

देश में कुल 1869 अरब क्यूबिक मीटर (Billion Cubic Meters) पानी उपलब्ध है। जिसमें से मात्र 1.123 अरब क्यूबिक मीटर पानी ही उपयोग में लिये जाने के योग्य है, वर्तमान में जहां चीन के प्रति व्यक्ति जल संग्रहण (Per Captia Storge of Water)1111 क्यूबिक मीटर है वही भारत में यह {ामता मा= 207 क्यूबिक मीटर है। भारत की लगभग 7% जनसंख्या को वर्ष 2017 तक भी साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाया है। बढ़ती जनसंख्या का दबाव सभी संसाधनों पर पड़ रहा है। भारत में 167.8 करोड लोगों में से केवल 26.9 करोड़ लोगों को (16%) ऐसे है जिन्हे घर के भीतर पेयजल उपलब्ध हैं [7]।

8.5 करोड़ों परिवारों (44.3%) को परिसर के निकट तथा 3.2 करोड़ों परिवारों (16.7%) को दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यह दूरी 500 मीटर से अधिक है वही शहरी क्षेत्रों में 100 मी0 या उससे अधिक है। भारत में सिचाई के लिए अन्धाधुन्ध भूजल का उपयोग किया जा रहा है। जिसकी चपेट में सम्पूर्ण मध्य भारत और उत्तर भारत है। उत्तर भारत के राज्य राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा में भूजल के स्तर में ह्रास से इस क्षेत्र में रहने वाले 11.4 करोड़ लोगों के प्रभावित होना तय माना जा रहा है। इस समस्या को रोकने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। इस हेतु भूजल के उपयोग को सीमित करने तथा बड़े पैमाने पर वर्षा जल का संरक्षण करके उसी का प्रयोग करने की आवश्यकता है[8]।

पीने के पानी की समस्या भारत के अधिकांश क्षेत्रों में विकराल रूप लेती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मार्च 2003 में विश्व के 22 देशों के जल की गुणवत्त की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित जल वाले कुछ गरीब राष्ट्रों के साथ स्थान दिया गया था। कृषक शहर के लोग, बढते मकानों खदानों और अन्य कार्यों हेतु पानी की सप्लाई और स्रोतों की आवश्यकता है जो बढ़ती जा रही है। भूजल पर दबाव बढ़ता जा रहा है और आये दिन सभी मुख्य समाचार पत्रों में भूजल के दोहन और गिरावट सम्बन्धी खबरे आ रही है और आने वाले समय हेतु खतरे की घंटी बज चुकी है। हम भूजल के प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग बहुत ही वेशर्म तरीके से कर रहे है । यह बात सही है कि कनाडा के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा पानी भारत में है। अभी भी समय है कि हम चेतें और अपने पानी के स्रोतों को अक्षय ही बनाए रखें। एक सदी पहले हम देसी तरीके से पानी का ज्यादा बेहतर संरक्षण करते थे, लेकिन नई जीवनशैली के नाम पर हम उन सब बातों को भूल गए। हम भूल गए कि कुछ ही दशक पहले तक हमारी नदियों में कल–कल करके शुद्ध जल बहता था। अब ऐसा नहीं रहा तथा कथित विकास की दौड़ में शुद्ध पानी और इसके स्रोत प्रदूषित होते चले गए। अनियोजित और नासमझी से भरे विकास ने नदियों को प्रदूषित कर दिया है।

पानी की कमी को लेकर टकराव अभी से पैदा हो गया है। कई राज्यों में दशकों से विवाद जारी है। मसलन कावेरी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में टकराव गोदावरी के जल को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में तनातनी और नर्मदा जल पर गुजरात और मध्यप्रदेश में टकराव की स्थिति। यह टकराव कभी राज्यों के बीच गुस्सा पैदा करते रहे है तो कमी राजनीतिक विद्वेश का कारण बनते रहे है। जल भारत 51.90 प्रतिशत हिस्सा नदियों के जल पर निर्भर करता है जो विभिन्न राज्यों के बीच बहती है। हमारे देश में ऊपर तक स्पष्ट नहीं हो रहा है कि नदी का कितने जल पर किसका हक है।

सोचने वाली बात यह है कि हजारों साल पहले देश में जितना संसाधन थे वो नहीं बढ़े लेकिन जनसंख्या कई गुना बढ़ गई। पानी के स्रोत भी अक्षय नहीं हैं, लिहाजा उन्हें भी एक दिन खत्म होना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को लेकर बहुत से लोग नाक–भौं सिकोड़ सकते हैं उसे कॉमर्शियल दबावों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की साजिश से जोड़कर देख सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि अपनी रिपोर्ट के जरिए यूरोपीय देशों का पैरवीकार माना जाने वाला वर्ल्ड बैंक कोई नई गोटियां बिछाना चाहता हो। लेकिन इस रिपोर्ट से अपने देश के तमाम विशेषज्ञ इत्तेफाक रखते हैं। पर्यावरणविज्ञानी चिल्ला कर कहते रहे हैं कि पानी को बचाओ।

3. भारत में सुरक्षित पीने के पानी का अधिकार

जल ही जीवन है अतः यह एक मूलभूत अधिकार के रूप में जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा है। पहले समाज में हमारी संस्कृति, रूढ़िया, और प्रथाये मजबूत थी, उनमें एक बल था, हमारी मान्यताये मजबूत थी और उनमें भी बल था, अतः पानी के व्यक्तिगत अधिकार, मौलिक अधिकार या पनी के मानवाधिकार जैसी उक्ति की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हम लोकतंत्र, विधि के शासन और औपचारिक रूप से संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा शासित होते है उस समय व्यक्गित अधिकारों की बात उठ खड़ी होती है। केवल पीने के पानी के अधिकार की केवल आवश्यकता नहीं है बल्कि सुरक्षित पीने के पानी के अधिकार की आवश्यकता हैं पीने योग्य पानी एक निश्चित गुणात्मक स्तर रखता है और यह भारत में निवास करने वाले हर व्यक्ति का एक मूलभूत अधिकार है। भारत में संवैधानिक दृष्टि से पीने के पानी राज्य सूची का विषय है. राज्य सूची की प्रविष्टी 17 इससे सम्बन्धित है। भारत के संविधान में पानी के अधिकार जैसा उपबंध सीधे सीधे नहीं दिया गया है, परन्तु न्यायिक निर्णयों द्वारा अनुच्छेद 21 जो जीवन के अधिकार से संबधित है और उसके दाएरे में ही सुरक्षित पानी पीने का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में दुहराया है। पानी का अधिकार अपने आप में बहुत प्रकार के अधिकारों को समाहित किये हुए है परन्तु उसका प्रारंभ तो सुरक्षित पीने के पानी के अधिकार से ही प्रारंभ होता है। पानी के अधिकार में खेतो में सिचाई का अधिकार, नहरों से पानी प्राप्त करने का अधिकार तथा तालाबो और कुओ आदि से सिचाई का पानी प्राप्त करने का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय बेंच ने चमेली सिंह बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य 9 के वाद में यह निर्णीत किया की आश्रय का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है जो हर नागरिक को उपलब्ध होना चाहिये, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में समाहित है. आश्रय के अधिकार से ही जीवन का अधिकार से ही जीवन का अधिकार अर्थपूर्ण बनता है. न्यायालय ने यह भी कहा की जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है और आश्रय का अधिकार सम्मलित है। न्यायालयन ने कहा की ये सभी मूलभूत मानवाधिकार है, सभी नागरिको को नागरिक, राजनैतिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 और प्रस्म्विदाओ में उल्लखित है का अनुप्रयोग बिना इन मूलभूत अधिकारों को पूरा किये नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली पानी की आपूर्ति और कूड़ा निस्तारण उपक्रम बनाम हरियाणा राज्य 10 के वाद में यमुना नदी के पानी का सिचाई हेतु हरियाणा द्वारा प्रयोग पर विवाद उठा जबकि दिल्ली के लोगों को पीने पानी की जरुरत की पूर्ति का प्रश्न था। यहाँ पानी के घरेलू बनाम वाणिज्यिक प्रयोग का प्रश्न उठा था, यहाँ विचारणीय था की किसे अधिक महत्व दिया जाए, उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया की हरियाणा राज्य पीने के पानी और घरेलू प्रयोग हेतु पानी दिल्ली को उपलब्ध कराये तथा यह भी कहा की पानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग मानव द्वारा उसको पीने में है, इसकी तुलना अन्य किसी भी प्रकार के प्रयोग से नहीं की जा सकती है।

श्रीमती सुचेता बनाम तमिलनाडु राज्य 11 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया था की अनुच्छेद 21 में प्राण के अधिकार में पानी का अधिकार भी है । इसलिए पानी के स्रोतों को बनाये रखना चाहिये और यदि प्रयोग में नहीं रहे तो उनको पुनः प्रयोग करने योग्य बनाना चाहिये। इसकी कल्पना अनुच्छेद 47 और 48 क में भी की गयी है । अनुच्छेद ५१ क खंड (छ) में भी प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन झील , नदी और वन्य जीव भी है, की रक्षा करना उसका संवर्धन करना प्रतेक नागरिक का मूल कर्तब्य है। परन्तु यह सिधांत केवल पानी के प्राकृतिक स्रोतों पर ही लागू होते है, कृत्रिम तालाबो परनहीं।

कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 12 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पानी का अधिकार भी प्राण के अधिकार में समाविष्ट है। मानव जाति को जिवित रखने के लिये पानी एक मूलभूत आवश्कता है और प्राण के अधिकार और मानवाधिकारो का ही एक हिस्सा है, जैसा कि अनुच्छेद 21 में प्रतिष्ठापित किया गया है। इस अधिकार को केवल तभी सुनिश्चित किया जा सकता है, जब वहां भी जल स्रोत की व्यवस्था की जाये, जहा वह बिलकुल ही नहीं है. सन 1977 का संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प जिसका भारत भी एक हस्ताक्षरी है, भी यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस के दरमियाँन सर्व सम्मतिसे इस अधिकार को मान्य करता है।

स्टेट उड़ीसा बनाम भारत सरकार 13 के वाद में पानी के अधिकार को अनुच्छेद 21 द्वारा प्रतिभूतित जीवन के अधिकार का भाग है, इसलिए, देश में जल की कमी की समस्या के सम्बन्ध में निराकरण हेतु वैज्ञानिको के निकाय के गठन हेतु केंद्र सरकार को सिफारिश की गयी थी, उक्त अनुसंधान के संचालन में वैज्ञानिको के निकाय को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी वित्तीय, तकनीकी और प्रशासकीय सहायता दिया जाना चाहिये तथा विदेशी वैज्ञानिक विशेषज्ञ और भारतीय वैज्ञानिको को जो इस विषय में विशेष योग्यता रखते हो,उनको सहायता और सलाह देनी चाहिये।

अतरू उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है की उच्चतम न्यायालय ने पानी का अधिकार को भी प्राण के अधिकार में समाविष्ट माना है और सरकारों विशेषज्ञो आदि सभी को पानी के संकट से आगाह किया है ।

4. निष्कर्ष

पानी की कमी की बात करते ही एक बात हमेशा सामने आती है कि दुनिया में कहीं भी पानी की कमी नहीं है। दुनिया के दो तिहाई हिस्से में तो पानी ही पानी भरा है तो भला कमी कैसे होगी? यहां यह बताना जरूरी होगा कि मानवीय जीवन जिस पानी से चलता है उसकी मात्रा पूरी दुनिया में सम्पूर्ण जल संसाधन में से मात्र 0.008 प्रतिशत ही है। नदियां सूख रही है। ग्लोशियर सिकड़ रहे है। झीलें और तालाब लुप्त हो चुके है। कुएं, कुंड और बावडियों का रख–रखाव पुरानी बात हो चुकी है। भूगर्भीय जल स्तर तेजी से कम होता जा रहा है। सुरक्षित पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है इसी कारण इसे वस्तु के रूप में देखा जाने लगा है। पीने का पानी का बाजार बढ़ता जा रहा है। जिस पर लगाम की आवश्यकता है। क्योकि मानव हेतु पानी एक आधारभूत आवश्यकता है। और इसको प्राप्त करना इसका मूलभूत अधिकार है हालत सचमुच चिन्ताजनक है–आखिर हम सभी लोग किस ओर बढ़ रहे है। पूरी दुनिया को नापने वाला नासा का सेटेलाइट के आंकड़ें कहते हैं कि अब भी चेतो और पानी को बचा लो, अन्यथा पूरी धरती बंजर हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि अगले कुछ सालों करीब–करीब दो दशकों के बाद भारत में पानी को लेकर त्राहि–त्राहि मचने वाली है सब कुछ होगा लेकिन हलक के नीचे दो घूंट पानी को उतारना भी मुश्किल हो जायेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पानी का अधिकार को भी प्राण के अधिकार में समाविष्ट माना है और बार बार आगाह किया है पीने के सुरक्षित पानी के संकट का समाधान त्वरित रूप से आवश्यक है। राज्य सरकारों, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन और विशेषज्ञो आदि सभी को मिलकर पानी के संकट का समाधान निकालना होगा है।

5. सन्दर्भ

1. विश्व बैंक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, विश्व पालिसी पेपर, 1993
2. यू0एन0डी0पी0, मानव विकास रिपोर्ट 2006.
3. यूनाइटेड नेशन्स, पापुलेशन डिवीजन रिपोर्ट (1950–2150) 1991.
4. में बैंक के वाइस प्रसिडेन्ट द्वारा दिया गया यह स्टेटमेन्ट मीडिया द्वारा लगातार विभिन्न रूपों में उद्घाटित किया जा रहा है 1995।
5. सुप्रा नं0 2
6. http://www.un.org/millenniumgoals/***2015***_MDG_Report/pdf/MDG%***202015%20***rev%***20(***July%***201).***pdf retrieve 01.02.2017
7. http://www.hindustantimes.com/india-news/6-3-crore-indians-do not-have-access-to-clean-drinking-
8. water/story-dWIEyP962FnM8Mturbc52N.html retrieve 01.04.2017
9. Ibid
10. ए0आई0आर0, एस0सी0 1996, 1051
11. ए0आई0आर0, एस0सी0 1996, 2992
12. ए0आई0आर0, 2006, एस0सी0 2893
13. एस0एस0सी0 572, 2000, 1
14. एस0एस0सी0 492, 2009, 5